



# उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

अम्बेडकर नगर  
जलालपुर  
201780030111436  
484203018691

जारी दिनांक: 19/10/2020

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

सूरज पाल  
हरदयाल पाल  
गीता देवी  
, ग्राम गोअवा चितई पट्टी पोस्ट रफीगंज  
चितई पट्टी  
जलालपुर  
अम्बेडकर नगर



उत्तर प्रदेश राज्य की गडेरिया जाति के व्यक्ति है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सूरज पाल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०.३० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर नीत वर्गों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इन्से अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५३ से तथा विटिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



VERMA  
BRIJESH  
KUMAR

Digitally Signed by  
VERMA BRIJESH  
KUMAR, D=Parsonat,  
C=IN, CN=VERMA  
BRIJESH KUMAR,  
S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
जलालपुर, अम्बेडकर नगर  
दिनांक: 19/10/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदन द्वारा स्वयं की जाति इन जाट्टी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।